तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कैलाश चन्द्र अग्रवाल बनाम लक्ष्मण 239 / 13 (आरसीएमएस नं. 2013 / 00008)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.08.18	अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त उनवानी अपील अति.जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 20.05.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 324 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित किया गया है, उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण खसरा नम्बर 1718 / 2808 व 1609 के सम्बन्ध में है जबकि रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण वगैरहा की आपत्ति केवल मात्र खसरा नम्बर 1718 / 2808 रकबा 0.05 हैक्टयर के सम्बन्ध में ही रही है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी अपना सम्पूर्ण अधिकार का परित्याग करना चाहता है, लक्ष्मण वगैरह द्वारा क्लेम किये गये खसरा नम्बर 1718 / 2808 रकबा 0.05 हैक्टयर का नामान्तरकरण उनके पक्ष में पृथक से खोला जाये तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त खसरा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक कर अपीलार्थी के खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.45 हैक्टयर का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष मे यथावत रखते हुए तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही करने हेतु अपीलार्थी अपील को वापस लेने की स्वतंन्त्रता चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्तानुसार स्वतंत्रता प्रदान फरमाई जाकर अपील को विड्रा करने की अनुमति प्रदान फरमावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण वगैरहा द्वारा क्लेम किये गये खसरा नम्बर 1718 / 2808 रकबा 0.05 हैक्टयर का नामान्तरकरण उनके पक्ष में पृथक से खोला जाये तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नही है तथा आराजी खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.45 हैक्टयर का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में यथावत रखने की कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.13 से प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कैलाश चन्द्र अग्रवाल बनाम लक्ष्मण** **239 / 13 (आरसीएमएस नं. 2013 / 00008)**	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) के तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2013 की अनुपालना में प्रकरण का 1 माह में आवश्यक रूप से विधिसम्मत निस्तारण किया जावें। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त जयपुर।	